

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 166 / 2019

दायरी दिनांक : 14.05.2019

## अनवान

- 1 प्रतापसिंह पिता हरिसिंह दरोगा निवासी सिंगोली तह. सिंगोली जिला नीमच(म0प्र0)
- 2 मानसिंह पिता हरिसिंह दरोगा निवासी सिंगोली तह. सिंगोली जिला नीमच(म0प्र0)
- 3 तुफानसिंह पिता हरिसिंह दरोगा निवासी सिंगोली तह. सिंगोली जिला नीमच(म0प्र0)
- 4 मु0 भगवती बैवा हरिसिंह दरोगा निवासी सिंगोली तह. सिंगोली जिला नीमच(म0प्र0)

—प्रार्थीगण

## बनाम

- 1 शंभू पिता मोती दरोगा निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
- 2 मोहन पिता मोती दरोगा निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
- 3 लादू पिता देबी दरोगा निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
- 4 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8)
3. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 एवं 9 लगायत 15 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार माण्डलगढ़।

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 20.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खातेदारी की ग्राम बरुंदनी पटवार मण्डल बरुंदनी की सरहद में स्थित खाता संख्या 776 की आराजी संख्या 2642, 2643, 2650, 2984, 3187, 3190, 3193, 3206, 3293, 3294, 3301, 3302, 4112/3144 कुल किता 13 कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ोसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। विपक्षी संख्या 1 लगायात 7 एवं 9 लगायत 15 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र त्रिपाठी द्वारा अधिकारी पत्र पेश किया गया किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। पत्रावली में संलग्न **जमाबंदी सम्वत 2071-74** के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर **ग्राम बरुंदनी पटवार मण्डल बरुंदनी की सरहद में स्थित खाता संख्या 776 की आराजी संख्या 2642, 2643, 2650, 2984, 3187, 3190, 3193, 3206, 3293, 3294, 3301, 3302, 4112/3144 कुल किता 13 कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा भूमि** बशामलात पडौसियान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 1600/-** रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि **100/-** रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़

